

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 324/2010

1. नंद लाल रैगर

2. किसना रैगर

उदा जी के दोनों पुत्र, निवासी ग्राम चतरगंज, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय भवन, जयपुर के माध्यम से।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।

3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।

4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली, जिला बूंदी।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री अमित जिंदल

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री गजानन्द मिश्र मानव-अति.जी.सी

माननीय श्री. जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

14/02/2024

रिपोर्ट योग्य

1. इस याचिका में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि "क्या किसी मृत व्यक्ति या ऐसे मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई जांच और वसूली कार्यवाही की जा सकती है?"

2. यह याचिका निम्नलिखित द्वारा दायर की गई है: याचिकाकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना के साथ:-

"अतः अत्यंत विनम्रता एवं आदरपूर्वक प्रार्थना है कि माननीय सदस्यगण इस रिट याचिका को स्वीकार करने एवं अनुमति देने की कृपा करें तथा आगे यह भी कृपा करें कि:-

1. उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 06.03.2007 (अनुलग्नक-2) और

उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा जारी दिनांक 12.04.2007 (अनुलग्नक-3) के कुर्की वारंट और दिनांक 29.06.2007 (अनुलग्नक-4) और दिनांक 09.06.2009 (अनुलग्नक-5) के वसूली नोटिस को रद्द और अपास्त किया जाए।

II. उत्तरदाता को निर्देश दें कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करें और उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें;

III. उत्तरदायित्व विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह सरपंच के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता की माता श्रीमती केसर बाई द्वारा किए गए विकास कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी की नियुक्ति करें; और

IV. ऐसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझे और उसे याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।”

3. इस याचिका के माध्यम से, अभियुक्तों ने उत्तरदाता द्वारा जारी दिनांक 06.03.2007 और 12.04.2007 के कुर्की वारंट और दिनांक 29.06.2007 और 09.06.2009 के वसूली नोटिस को चुनौती दी है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां, यानी श्रीमती केसर बाई 1995 से 2000 तक के कार्यकाल के लिए ग्राम पंचायत चतरगंज, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी की सरपंच चुनी गई थीं। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां का निधन 13.01.2004 को हो गया था और उनके जीवनकाल में न तो उन्हें किसी बकाया राशि के संबंध में कोई नोटिस दिया गया और न ही उनके खिलाफ कोई जांच कार्यवाही शुरू की गई। वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां की मृत्यु के बाद, दो नोटिस, यानी 29.06.2007 और 09.06.2009 को मृत व्यक्ति के रूप में, यानी याचिकाकर्ता की मां के खिलाफ जारी किए गए थे, जिनका निधन बहुत पहले वर्ष 2004 में ही हो गया था, यानी 13.01.2004 को। वकील ने दलील दी कि बाद में, मृतक सरपंच के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता को 99,507 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया। वकील ने दलील दी कि बिना किसी जाँच के मृतक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसी वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। वकील ने दलील दी कि इस विलंबित चरण में, किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई जाँच नहीं की जा सकती। इसलिए, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है और विवादित कानूनी कार्यवाही को रद्द और रद्द किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, राज्य उत्तरदाता के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए

गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की कामकाजी मां द्वारा ग्राम पंचायत चतरगंज के सरपंच के पद पर उनके कार्यकाल के दौरान, वर्ष 1995 से 2000 तक कई अनियमितताएं पाई गईं। वकील ने प्रस्तुत किया कि लेखा परीक्षा की कार्यवाही की गई और लेखा परीक्षा आपत्ति में, यह तथ्य उत्तरदाता के ध्यान में आया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किए गए थे, इसलिए, लेखा परीक्षा आपत्ति के आधार पर, तत्कालीन सरपंच-केसर बाई के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता अधिकारियों को तत्कालीन सरपंच की मृत्यु के बारे में पता नहीं था और तदनुसार, तत्कालीन सरपंच और उनके कानूनी प्रतिनिधियों, यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक सरपंच के खिलाफ उसके कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। वकील का तर्क है कि इन परिस्थितियों में, उत्तरदाता ने कुर्की और वसूली के वारंट जारी करने में कोई अवैधता नहीं की है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

6. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

7. यह तथ्य निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता की माता 1995 से 2000 तक, ग्राम पंचायत चतरगंज, तहसील हिंडोली, जिला बूंदी की सरपंच का कार्यभार संभाल रही थीं। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि उनका निधन 13.01.2004 को हुआ था। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि उनकी मृत्यु तक, सरपंच पद पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के लिए न तो कोई लेखा-परीक्षा कार्यवाही की गई और न ही कोई जाँच शुरू की गई। मृतक सरपंच के विरुद्ध कोई जाँच किए बिना, अब उत्तरदाता याचिकाकर्ता से संबंधित राशि वसूलने की प्रक्रिया में हैं।

8. उत्तरदाता के वकील किसी भी कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं कर सके जो उत्तरदाता को मृतक पूर्व सरपंच या उसके कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता हो। यदि किसी भी जाँच कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी भी अपराधी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कार्यवाही स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।

9. यह मामला उत्तरदाता की ओर से विवेक न प्रयोग करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्तरदाता द्वारा 06.03.2007 और 12.04.2007 को याचिकाकर्ता की दिवंगत माँ के विरुद्ध

कुर्की वारंट जारी करना और 29.06.2007 को उसी राशि का वसूली नोटिस जारी करना अत्यंत हास्यास्पद है। वास्तव में, उत्तरदाता का ऐसा कृत्य पूर्णतः विवेक न प्रयोग करने का परिणाम है, क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए अपनी दिवंगत माँ द्वारा किए गए कथित दुर्यवहार के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करना कैसे संभव है।

10. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई जाँच या वसूली की कार्यवाही शुरू की जाती है, उसका जीवित रहना अनिवार्य है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह सांसारिक मामलों से अपने सभी संबंध तोड़ लेता है। मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह न्यायालय उत्तरदाता की ओर से उस व्यक्ति की मृत माँ के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू करने पर दया करता है, जिनकी मृत्यु वर्ष 2004 में ही हो चुकी थी और यह सूचना उत्तरदाता प्राधिकारियों को अच्छी तरह से बता दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने बिना कोई जाँच किए ही उत्तरदाता के विरुद्ध वही वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी। कानून का यह सुस्थापित प्रस्ताव है कि किसी अपराधी के विरुद्ध जाँच ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के लिए पूरी तरह से उकसाती है। एक बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, प्राधिकारी के साथ उसके सभी प्रकार के संबंध समाप्त हो जाते हैं। बचाव, यदि कोई हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक व्यक्तिगत बचाव है और ऐसे मृत व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और न ही मृत व्यक्ति के आचरण का बचाव किया जा सकता है।

11. मृतक व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधियों से कोई विवादित राशि तब तक वसूल नहीं की जा सकती जब तक कि मृतक के खिलाफ कोई जाँच न की जाए और ऐसा अब नहीं किया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को अपनी माँ द्वारा की गई अनियमितताओं या अवैधताओं के बारे में पता नहीं था।

12. यदि ऐसा मामला होता कि सरपंच की माँ जीवित होती, तो सरपंच को अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अवसर मिल सकता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, जो मृतक सरपंच के कानूनी प्रतिनिधि हैं।

13. तदनुसार, दिनांक 06.03.2007 और 12.04.2007 के कुर्की वारंट और दिनांक 29.06.2007 और 09.06.2009 के वसूली नोटिस रद्द और अपास्त किये जाते हैं।

14. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

15. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हो तो) भी निपटाए जाते हैं।

16. कोई लागत नहीं.

(अनूप कुमार ढांड), जे

आयुष शर्मा/106

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate